रजिस्टर्ड / कोर्टकेस / अतिमहत्वपूर्ण / परिपत्र

प्रेषक,

निदेशक, मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक, मत्स्य
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– / स्था0शा0 / कोर्टकेस / सा0पत्रा–5 / परिपत्र दिनांक– 11.02., 2021

विषय– सिविल मिशलेनियस अवमानना वाद संख्या–2948 ऑफ 2020 श्रीमती गोमती कोरंगा पत्नी श्री अमानत हुसैन, पता–मोहल्ला कुरैशी, जिला–अमरोहा बनाम डॉ विजय कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 2 / 2021 / सा–468 / सात–न्याय–अनु0प्रको0 / 2020 दिनांक 19.01.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। **(छाया प्रति संलग्न)**

अवगत कराना है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र दिनांक 19.01.2021 द्वारा उपरोक्त विषयांकित अवमानना याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2020, जिसका प्रभावी अंश शासन के उक्त पत्र में उद्धरित है, का अनुपालन सुनिश्चित कराने निर्देश दिये गये हैं तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि ***उक्त के अनुपालन में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों पर तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।***

अतः उपरोक्त शासकीय निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रश्नगत संदर्भ में पूर्व में भी शासन एवं निदेशालय स्तर, से जारी निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि ***मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों पर प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप से अपेक्षित कार्यवाही तत्परता पूर्वक सुनिश्चित किया जाये तथा मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर मा0 न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अपेक्षित विधिक कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाये जिससे मा0 न्यायालय के आदेश के अनादर अथवा अवमानना जैसी कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो।*** ज्ञातव्य हो कि इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता / विलम्ब के कारण शासन / विभाग के समक्ष किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर उपरोक्त शासकीय निर्देशों एवं तत्संबंधी पूर्व में निर्गत निर्देशों की अवहेलना हेतु संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी उक्तानुसार अनुपालन हेतु अवगत कराते हुये निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या:– 523 / स्था0शा0 / कोर्ट केस दिनॉक –उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगणों को उक्त संदर्भ में उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश सहित प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।